दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर
कार्य परिषद की बैठक दिनांक 30.07.2017 का कार्यवृत्त

उपस्थिति :

1.	प्रो0 विजय कृष्ण सिंह	कुलपति / अध्यक्ष
2.	डॉ0 अवधेश सिंह	सदस्य
3.	प्रो0 ईश्वरशरण विश्वकर्मा	सदस्य
4.	प्रो0 राम प्रकाश	सदस्य
5.	प्रो0 गोपाल प्रसाद	सदस्य
6.	प्रो0 (श्रीमती) सुनीता मुर्मू	सदस्य
7.	प्रो0 श्रीकान्त दीक्षित	सदस्य
8.	डॉ0 रजीउर रहमान	सदस्य
9.	श्री धर्मेन्द्र नाथ वर्मा	सदस्य
10.	डॉ0 मानेन्द्र प्रताप सिंह	सदस्य
11.	डॉ0 प्रदीप कुमार सिन्हा	सदस्य
12.	डॉ0 स्वयं प्रकाश लाल	सदस्य
13.	प्रो0 एच0पी0 तिवारी	सदस्य
14.	डॉ0 हर्मेश सिंह चौहान	सदस्य
15.	श्री एस0वी0एम0 त्रिपाठी	सदस्य
16.	न्यायमूति श्री आलोक कुमार सिंह	सदस्य
17.	श्री पी0एन0 सिंह	वित्त अधिकारी
18.	कुलसचिव	सचिव

बैठक के प्रारम्भ में कुलपति जी ने कार्यपरिषद के समस्त सम्मानित सदस्यों का स्वागत किया। तत्पश्चात् निवर्तमान सदस्य डॉ0 (श्रीमती) संगीता पाण्डेय, उपाचार्य, समाजशास्त्र विभाग, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया एवं नवनामित सदस्य डॉ0 रजीउर रहमान, उपाचार्य, उर्दू विभाग, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर का स्वागत करते हुए उनसे सहयोग की अपेक्षा की। तत्पश्चात् कुलसचिव को बैठक की कार्यसूची प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। कुलसचिव ने कार्य परिषद् के माननीय सदस्यों का स्वागत करते हुए क्रमवार कार्यसूची प्रस्तुत की–

बिन्दु संख्या	प्रस्ताव एवं निर्णय
1.	कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 17.12.2016 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार किया। सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने अपनी बैठक दिनांक 17.12.2016 के कार्यवृत्त को निम्नलिखित संशोधन के साथ सम्पुष्ट किया– 1. बिन्दु संख्या–1 में माननीय सदस्य प्रो0 गोपाल प्रसाद द्वारा उठाये गये परास्नातक कक्षाओं में प्रवेश परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त विद्यार्थियों की पूर्ण शुल्क मुक्ति सम्बन्धी प्रस्ताव को वित्त समिति को सन्दर्भित किया गया तथा

	निर्णय लिया गया कि वित्त समिति के द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार यदि पूर्ण शुल्क माफ किया जाता है तो सम्बन्धित छात्र की नियमानुसार फीस वापसी कर दी जाय। 2. बिन्दु संख्या– 12 पर माननीय सदस्य न्यायमूर्ति श्री आलोक कुमार सिंह ने कहा कि पेपर लीक प्रकरण पर विभागीय समिति की आख्या में दिये गये सुझाव के अनुसार सभी सम्बद्ध कर्मचारियों को चेतावनी जारी की जाय कि वे भविष्य में सावधानी बरतें।
2.	कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 17.12.2016 में लिये गये निर्णय के क्रियान्वयन सम्बन्धी प्रतिवेदन से अवगत होना। कार्य परिषद् अपनी बैठक दिनांक 17.12.2016 में लिये गये निर्णय के क्रियान्वयन सम्बन्धी प्रतिवेदन पर संतोष व्यक्त किया।
3.	कार्य परिषद् की आकस्मिक बैठक दिनांक 06.3.2017 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार किया। सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् अपनी आकस्मिक बैठक दिनांक 06.3.2017 के कार्यवृत्त की सम्पुष्ट किया गया।
4.	कार्य परिषद् की आकस्मिक बैठक दिनांक 06.3.2017 में लिये गये निर्णय के क्रियान्वयन सम्बन्धी प्रतिवेदन से अवगत होना। कार्य परिषद् अपनी आकस्मिक बैठक दिनांक 06.3.2017 में लिये गये निर्णय के क्रियान्वयन सम्बन्धी प्रतिवेदन पर संतोष व्यक्त किया।
5.	कार्य परिषद् की आकस्मिक बैठक दिनांक 28.06.2017 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार किया गया। सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् अपनी आकस्मिक बैठक दिनांक 28.06.2017 के कार्यवृत्त को सम्पुष्ट किया।
6.	कार्य परिषद् की आकस्मिक बैठक दिनांक 28.06.2017 में लिये गये निर्णय के क्रियान्वयन सम्बन्धी प्रतिवेदन से अवगत होना। कार्य परिषद् अपनी आकस्मिक बैठक दिनांक 28.06.2017 में लिये गये निर्णय के क्रियान्वयन सम्बन्धी प्रतिवेदन पर संतोष व्यक्त किया।
7.	कार्य परिषद् वित्त समिति की बैठक दिनांक 25.03.2017 की संस्तुतियों पर विचार किया। सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने वित्त समिति की बैठक दिनांक 25.03.2017 की संस्तुतियों पर विचार करते हुए निर्णय लिया कि वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु प्रस्तावित बजट में आवश्यक संशोधन कर शासन को भेज दिया जाय तथा किये गये संशोधन से कार्यपरिषद् को अवगत करा दिया जाय। संशोधित बजट के अनुसार कार्यवाही की जाय। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि अगले वर्ष का बजट अक्टूबर माह में कार्यपरिषद् से पास करा लिया जाय और शासन को भेज दिया जाय। साथ ही यह भी विचार किया गया कि वेतन मद में काफी घाटे की स्थिति है। वर्तमान में यदि रिक्त पदों पर भर्ती हो जाय तो विश्वविद्यालय को वेतन भुगतान करने में काफी दिक्कत होगी। ऐसी स्थिति में यदि राज्य सरकार वेतन मद में होने वाले व्यय को वहन करने की स्वीकृति प्रदान कर देती है तो विश्वविद्यालय अपने अन्य विकास कार्य की योजनाओं को पूर्ण कर सकता है।

8.	कार्य परिषद् ने अपनी बैठक दिनांक 11.01.2016 के बिन्दु संख्या– 13 द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में डॉ0 अमरेश चन्द्र शुक्ल, पूर्व उपाचार्य, समाजशास्त्र विभाग के प्रकरण पर मा0 कुलपति जी द्वारा गठित समिति की आख्या पर विचार किया। सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि डॉ0 अमरेश चन्द्र शुक्ल, पूर्व उपाचार्य, समाजशास्त्र विभाग के प्रकरण पर गठित समिति की आख्या में सुझाये गये दो बिन्दुओं– 1. नियुक्ति प्राधिकारी इनकी स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति को स्वीकार कर लें एवं 2. शासनादेश दिनांक 21 मई, 1998 को उनकी वांछित स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति के दिनांक 04 जुलाई, 1996 को आच्छादित मानते हुए पेंशन की अनुमति शासन द्वारा प्रदान कर दी जाय। इस प्रकरण में कार्यपरिषद् द्वारा निर्णय लिया गया कि शासनादेश का उल्लेख करते हुए प्रकरण को शासन को सन्दर्भित किया जाय।
9.	कार्यालय आदेश संख्या 9710/सा0प्र0/2017 दिनांक 10.01.2017 द्वारा विश्वविद्यालय परिनियमावली के परिनियम 02.20 (यथा संशोधित) में दिये गये प्रावधान एवं मा0 कुलपति जी के आदेश के अनुपालन में चक्रानुक्रम के अन्तर्गत डॉ0 अवधेश कुमार तिवारी, आचार्य, वाणिज्य विभाग को दिनांक 12.02.2017 से तीन वर्ष अथवा अन्य कोई आदेश होने तक, जो भी पहले हो, तक के लिए वाणिज्य विभाग के विभागाध्यक्ष पर नियुक्ति सम्बन्धी आदेश से अवगत होगा। कार्य परिषद् प्रस्तुत सूचना से अवगत हुई।
10.	कार्यालय आदेश संख्या 9699/सा0प्र0/2017 दिनांक 04.01.2017 द्वारा विश्वविद्यालय परिनियमावली के परिनियम 02.20 (यथा संशोधित) में दिये गये प्रावधान एवं मा0 कुलपति जी के आदेश के अनुपालन में चक्रानुक्रम के अन्तर्गत डॉ0 सुधीर कुमार श्रीवास्तव, आचार्य, गणित एवं सांख्यिकी विभाग को दिनांक 05.01.2017 से तीन वर्ष अथवा अन्य कोई आदेश होने तक, जो भी पहले हो, तक के लिए गणित एवं सांख्यिकी विभाग के विभागाध्यक्ष पर नियुक्ति सम्बन्धी आदेश से अवगत होना। कार्य परिषद् प्रस्तुत सूचना से अवगत हुई।
11.	कार्यालय आदेश संख्या 9907/सा0प्र0/2017 दिनांक 23.03.2017 द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथा संशोधित) की धारा 27(4) में दिये गये प्रावधान एवं मा0 कुलपति जी के आदेश के अनुपालन में चक्रानुक्रम के अन्तर्गत प्रो0 जितेन्द्र मिश्र, विधि विभाग को दिनांक 25.03.2017 से तीन वर्ष अथवा अन्य कोई आदेश होने तक, जो भी पहले हो, तक के लिए अधिष्ठाता– विधि संकाय के पद पर नियुक्ति सम्बन्धी आदेश से अवगत होना। कार्य परिषद् प्रस्तुत सूचना से अवगत हुई।
12.	कार्यालय आदेश संख्या 9908/सा0प्र0/2017 दिनांक 23.03.2017 द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय परिनियम 02.20 (यथा संशोधित) में दिये गये प्रावधान एवं मा0 कुलपति जी के आदेश के अनुपालन में चक्रानुक्रम के अन्तर्गत प्रो0 जितेन्द्र मिश्र, विधि विभाग को दिनांक 25.03.2017 से तीन वर्ष अथवा अन्य कोई आदेश होने तक, जो भी पहले हो, तक के लिए अध्यक्ष–विधि विभाग के पद पर नियुक्ति सम्बन्धी आदेश से अवगत होना। कार्य परिषद् प्रस्तुत सूचना से अवगत हुई।
13.	कार्यालय आदेश संख्या 10305/सा0प्र0/2017 दिनांक 01.07.2017 द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय परिनियम 02.20 (यथा संशोधित) में दिये गये प्रावधान एवं मा0 कुलपति जी के

	आदेश के अनुपालन में चक्रानुक्रम के अन्तर्ग निम्नलिखित शिक्षकों उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से तीन वर्ष अथवा अन्य कोई आदेश होने तक, जो भी पहले हो, तक के लिए सम्बन्धित विभाग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति सम्बन्धी आदेश से अवगत होना। (तालिका नीचे) कार्य परिषद् प्रस्तुत सूचना से अवगत हुई।

क0सं0	नाम	विभाग	विभागाध्यक्ष नियुक्त होने की तिथि
1.	प्रो0 कामेश्वर नाथ सिंह	भूगोल	03.07.2017
2.	प्रो0 करुणाकर राम त्रिपाठी	अर्थशास्त्र	03.07.2017
3.	प्रो0 मानवेन्द्र प्रताप सिंह	समाजशास्त्र	04.07.2017
4.	प्रो0 सतीश चन्द्र पाण्डेय	रक्षा एवं स्त्रातजिक अध्ययन	04.07.2017
5.	प्रो0 शैलजा सिंह	शिक्षाशास्त्र	08.07.2017

14.	कार्यालय आदेश संख्या 9940/सा0प्र0/2017 दिनांक 07.04.2017 द्वारा विश्वविद्यालय परिनियमावली के परिनियम 02.12 (यथासंशोधित) में दिये गये प्रावधान के अन्तर्गत एवं मा0 कुलपति जी के आदेश के अनुपालन में प्रो0 रविशंकर सिंह, आचार्य, भौतिकी विभाग को अधिष्ठाता छात्र कल्याण के पद पर नियुक्ति सम्बन्धी ओदश से अवगत होना एवं स्वीकृति प्रदान करने पर विचार। कार्य परिषद् प्रस्तुत सूचना से अवगत होते हुए स्वीकृति प्रदान किया।
15.	कार्यालय आदेश संख्या 10109/सा0प्र0/2017 दिनांक 27.05.2017 द्वारा विश्वविद्यालय परिनियमावली के परिनियम 02.20 (यथा संशोधित) में दिये गये प्रावधान एवं मा0 कुलपति जी के आदेश के अनुपालन में चक्रानुक्रम के अन्तर्गत डॉ0 हुमा जावेद सब्जपोश, आचार्य, अंग्रेजी विभाग को दिनांक 30.05.2017 से तीन वर्ष अथवा अन्य कोई आदेश होने तक, जो भी पहले हो, तक के लिए अंग्रेजी विभाग के विभागाध्यक्ष पर नियुक्ति सम्बन्धी आदेश से अवगत होना। कार्य परिषद् प्रस्तुत सूचना से अवगत हुई।
16.	कार्यालय आदेश संख्या 9941/साप्र/2017 दिनांक 07.04.2017 जो मा0 कुलपति जी के आदेशानुसार डॉ0 नूतन त्यागी, आचार्य, भूगोल विभाग को मानव संसाधन विकास केन्द्र (एकेडेमिक स्टाफ कालेज) के निदेशक पद पर अगले आदेश तक नियुक्ति सम्बन्धी है, आदेश से अवगत होना। कार्य परिषद् प्रस्तुत सूचना से अवगत हुई।
17.	कार्यालय आदेश संख्या 10042/साप्र/2017 दिनांक 19.05.2017 जो मा0 कुलपति जी के आदेशानुसार श्री अजीत कुमार सिंह, अधिवक्ता, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को इस विश्वविद्यालय से सम्बन्धित मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित वाद में पैरवी करने हेतु गठित पैनल में सम्मिलित किये जाने सम्बन्धी है, आदेश से अवगत होना। कार्य परिषद् प्रस्तुत सूचना से अवगत हुई।
18.	कार्यालय आदेश संख्या 10025/साप्र/2017 दिनांक 17.05.2017 जो डॉ0 रजनी कान्त पाण्डेय, आचार्य, राजनीतिशास्त्र विभाग के द्वारा सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर में अन्तरिन कुलपति पद पर कार्यरत रहने की प्रस्थिति में पूर्व स्वीकृत असाधारण

	अवकाश दिनांक 23.05.2016 से एक वर्ष के पश्चात् दिनांक 23.05.2017 से पुनः एक वर्ष के लिए मांगे गये असाधारण अवकाश को स्वीकृत करने सम्बन्धी आदेश से अवगत होना एवं अनुमोदन प्रदान करने पर विचार। कार्य परिषद् प्रस्तुत सूचना से अवगत होते हुए अनुमोदन प्रदान किया।
19.	कार्य परिषद् प्रो0 अनीता माईल्स, आचार्य, अंग्रेजी विभाग का आवेदन पत्र दिनांक 17.01.2017 जो दिनांक 01.08.2017 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति माँगे जाने सम्बन्धी है, पर विचार किया। सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने प्रो0 अनीता माईल्स, आचार्य, अंग्रेजी विभाग का दिनांक 01.08.2017 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति को स्वीकार करते हुए इस प्रकरण को शासन को भेजने पर सहमति व्यक्त की।
20.	कार्यालय ज्ञाप संख्या 8299/यू0जी0सी0/2017 दिनांक 29.05.2017 जो श्री हेमशंकर वाजपेयी, एसोसिएट प्रोफेसर, वाणिज्य विभाग का निदेशक, IQAC पद पर एक वर्ष की सेवा विस्तार से सम्बन्धित है, से अवगत होना। कार्य परिषद् प्रस्तुत सूचना से अवगत हुई।
21.	कार्य परिषद् ने विश्वविद्यालय में रिक्त वि0वि0 अभियन्ता एवं अवर अभियन्ता के पदों के सापेक्ष सरकारी विभागों के सेवा निवृत्त अभियन्ताओं से निश्चित मानदेय के आधार पर सेवा लिये जाने के सम्बन्ध में विचार किया। सम्यक् विचारोपरान्त कार्यपरिषद् ने विश्वविद्यालय में रिक्त वि0वि0 अभियन्ता एवं अवर अभियन्ता के पदों के सापेक्ष निश्चित मानदेय के आधार पर एक सहायक अभियन्ता (सिविल) से सेवा लेने की अनुमति प्रदान की।
22.	कार्य परिषद् विश्वविद्यालय के स्वास्थ्य केन्द्र पर अंशकालिक चिकित्सक (MD) को निश्चित मानदेय के आधार पर विश्वविद्यालय डाक्टर्स के पैनल में सम्मिलित करने पर विचार किया। सम्यक् विचारोपरान्त कार्यपरिषद् ने विश्वविद्यालय में रिक्त डाक्टर के पदों के सापेक्ष निश्चित मानदेय के आधार पर दो डाक्टर (एम0डी0/एम0बी0बी0एस0) से सेवा लेने की अनुमति प्रदान की।
23.	प्रवेश समिति की आकस्मिक बैठक दिनांक 16.05.2017 के बिन्दु संख्या 1 (ग) जो स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष 2016–17 में संस्कृत एवं अन्य विषयों में प्रवेशित छात्रों, जिनका अन्तराल तीन वर्ष से अधिक का है, का प्रवेश नियमानुसार न होने के कारण निरस्त किये जाने सम्बन्धी निर्णय से अवगत होना। कार्य परिषद् प्रस्तुत सूचना से अवगत हुई।
24.	कार्य परिषद् ने डॉ0 अशोक कुमार सिंह, प्राचार्य, उदित नारायण स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पडरौना कुशीनगर का पत्र संख्या 286/2016–17 दिनांक 05.12.2016 जो उदित नारायण महाविद्यालय, पडरौना, कुशीनगर का नाम उदित नारायण स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पडरौना, कुशीनगर करने सम्बन्धी अधिसूचना जारी करने के सम्बन्ध में है, पर विचार किया। सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने "उदित नारायण महाविद्यालय, पडरौना, कुशीनगर" का नाम "उदित नारायण स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पडरौना, कुशीनगर" करने की अनुमति प्रदान की।
25.	कार्य परिषद् ने मा0 कुलपति जी ओदश संख्या : 645/कुलपति/2017 दिनांक 09/11 फरवरी, 2017 जो ज्ञान भारती महाविद्यालय, रगड़गंज, कुशीनगर की मान्यता समाप्त करने सम्बन्धी है, से अवगत होना एवं स्वीकृति प्रदान करने पर विचार किया।

	सम्यक् विचारोपरान्त कार्यपरिषद् ने निर्णय लिया कि मा0 कुलपति जी ओदश संख्या : 645/कुलपति/2017 दिनांक 09/11 फरवरी, 2017 जो ज्ञान भारती महाविद्यालय, रगड़गंज, कुशीनगर की मान्यता समाप्त करने सम्बन्धी है का पुनः परीक्षण करने हेतु मा0 कुलपति जी को अधिकृत किया। साथ ही यह भी निर्णय लिया कि स्नातक भाग–दो एवं तीन में अध्ययनरत छात्रों की परीक्षा करायी जाय तथा जब तक मा0 कुलपति जी की आख्या प्राप्त नहीं हो जाती है तथा कार्य परिषद् द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया जाता है, तब तक स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश न दिया जाय।
26.	कार्य परिषद् ने विश्वविद्यालय में एकमुश्त रू0 10 लाख या उससे अधिक के निर्माण/जिर्णोद्धार का कार्य प्रतिष्ठित निर्माण एजेन्सी से कराये जाने पर विचार किया। सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय में एकमुश्त रू0 25 लाख या उससे अधिक के निर्माण/जिर्णोद्धार का कार्य सरकारी निर्माण एजेन्सी के माध्यम से कराया जाय।
27.	कार्य परिषद् ने विश्वविद्यालय का मास्टर प्लान तैयार करने पर विचार किया। सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने निर्णय लिया कि यदि विश्वविद्यालय का पूर्व का कोई मास्टर प्लान हो तो उसके सहयोग से अन्यथा की स्थिति में नये रूप से विश्वविलय का मास्टर प्लान तैयार किया जाय।
28.	कार्य परिषद् ने विकास समिति की बैठक दिनांक 22 मई, 2017 के कार्यवृत्त की संस्तुति एवं विकास समिति द्वारा संस्तुत विश्वविद्यालय परिसर में दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा स्थापित करने हेतु स्थल चयन पर विचार किया। सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने विकास समिति की बैठक दिनांक 22 मई, 2017 के कार्यवृत्त की संस्तुति एवं विकास समिति द्वारा संस्तुत को स्वीकार करते हुए विश्वविद्यालय परिसर में दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा स्थापित करने हेतु निर्धारित स्थान प्रशासकीय भवन के सामने प्रांगण में लगाने की अनुमति प्रदान की।
29.	कार्य परिषद् ने विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के कार्यों का Automation कराये जाने हेतु National Informatics Centre (NIC) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र एवं National Informatics Centre Services Incorporated (NICSI) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र सेवा संस्थान जैसी संस्थाओं के माध्यम से Technical Suport (तकनीकी सहायता) प्राप्त करने पर विचार किया। सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने प्रस्तुत सूचना की स्वीकृति प्रदान करने हेतु निर्णय लिया कि इसका मुख्य केन्द्र प्रशासकीय भवन में बनाया जाय।
30.	विश्वविद्यालय के समस्त परिसरों की साफ–सफाई की व्यवस्था सुदृढ़ करने हेतु नगर निगम से हुई विस्तृत चर्चा के अनुसार नगर निगम के माध्यम से कराये जाने पर दिनांक 27.05.2017 को सम्पन्न बैठक की कार्यवृत्त से अवगत होना। कार्य परिषद् प्रस्तुत सूचना से अवगत हुई।
31.	विश्वविद्यालय परिसरों एवं नालियों की साफ–सफाई की व्यवस्था को सृदृढ़ करने पर सम्बन्धी अधिसूचना संख्या : दीदउगोविवि/सं0का0/2017/642 दिनांक 04.07.2017 से अवगत होना। कार्य परिषद् प्रस्तुत सूचना से अवगत हुई।

32.	कार्य परिषद् विश्वविद्यालय में किये जाने वाले समस्त प्रकार के भुगतान RTGS/Online के माध्यम से करने पर विचार किया। सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् विश्वविद्यालय में किये जाने वाले समस्त प्रकार के भुगतान RTGS/Online/e-payment के माध्यम से प्राथमिकता के आधार पर करने की अनुमति प्रदान की।
33.	कार्य परिषद् ने विश्वविद्यालय कोर्ट (Court) सभा का चुनाव कराने हेतु समिति गठित करने पर विचार किया। सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने विश्वविद्यालय कोर्ट (Court) सभा का चुनाव कराने हेतु समिति गठित करने हेतु मा0 कुलपति जी को अधिकृत किया।
34.	विश्वविद्यालय की सुरक्षा व्यवस्था हेतु सैनिक कल्याण परिषद् के माध्यम से सेवानिवृत्त भूतपूर्व सैनिकों की सेवा लेने सम्बन्धी आदेश संख्या 636/स0का0/2017 दिनांक 16.06.2017 से अवगत होना। कार्य परिषद् प्रस्तुत सूचना से अवगत हुई।
35.	कार्य परिषद् विश्वविद्यालय में उपलब्ध वाई–फाई की अद्यतन सेवा से अवगत होना तथा इसके उन्नयन पर विचार किया।
36.	कार्य परिषद् विश्वविद्यालय के कम्प्यूटर सेन्टर में डाटा सेण्टर बनाने एवं LAN की स्थापना हेतु प्रस्ताव पर विचार किया। कार्य परिषद् बिन्दु संख्या 35 एवं 36 पर एक साथ विचार करते हुए निर्णय लिया कि वाई–फाई की सेवा उपलब्ध कराने तथा डाटा सेण्टर एवं LAN की स्थापना के सम्बन्ध में पुनः सर्वे कराकर कार्यवाही की जाय।
37.	कार्य परिषद् विश्वविद्यालय में शिक्षकों की भर्ती हेतु जारी शासनादेश संख्या – 124/सत्तर–1–2017–16 (114)/2010–टी0सी0 दिनांक 08 अप्रैल, 2017 को ध्यान में रखकर विश्वविद्यालय परिनियमावली एवं अध्यादेश को अद्यतन करने पर विचार किया। सम्यक् विचारोपरान्त विश्वविद्यालय में शिक्षकों की भर्ती हेतु जारी शासनादेश संख्या – 124/सत्तर–1–2017–16 (114)/2010–टी0सी0 दिनांक 08 अप्रैल, 2017 को ध्यान में रखकर विश्वविद्यालय परिनियमावली में यथास्थान समाहित करने सम्बन्धी सूचना से अवगत होते हुए स्वीकृति प्रदान की।
38.	कार्य परिषद् विश्वविद्यालय में लेखन सामग्रियों आदि की आपूर्ति हेतु व्यवस्था बनाने पर विचार किया। सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने विश्वविद्यालय में लेखन सामग्रियों आदि की आपूर्ति के सम्बन्ध में निर्णय लिया कि पूरे वित्तीय वर्ष हेतु टेण्टर के माध्यम से दर एवं आपूर्तिकर्ता फर्म निर्धारित कर लिया तथा सम्बन्धित फर्म से इस आशय का शपथ पत्र लिया जाय कि पूरे वित्तीय वर्ष निर्धारित दर पर ही आपूर्ति करेंगे।
39.	कार्य परिषद् विश्वविद्यालय के विभिन्न सामग्रियों– वाटर प्यूरिफायर, फोटो कॉपी मशीन, वाटर कूलर, ए0सी0, कम्प्यूटर सिस्टम, प्रिन्टर की मरम्मत हेतु ए0एम0सी0 कराये पर विचार किया। सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय में लगे वाटर प्यूरिफायर, फोटो कॉपी मशीन, वाटर कूलर की मरम्मत हेतु ए0एम0सी0 कर लिया जाय।

40.	कार्य परिषद् श्री विपिन सिंह, विधायक, गोरखपुर ग्रामीण, गोरखपुर का पत्र दिनांक 08.06.2017 जो विश्वविद्यालय के अभियांत्रिक विभाग में कार्यरत दैनिक अनुरक्षण कर्मचारियों के प्रकरण से सम्बन्धी है, पर विचार किया। कार्य परिषद् ने श्री विपिन सिंह, विधायक, गोरखपुर ग्रामीण, गोरखपुर का पत्र दिनांक 08.06.2017 पर विचार करते हुए निर्णय लिया कि शासनादेश सं0 2734/सत्तर–4–2005–4(15)/2004 दिनांक 29 सितम्बर, 2005 के पैरा–4 में दिये गये प्रावधान तथा अन्य अद्यतन शासनादेशों का परीक्षण वित्त समिति से करा लिया जाय तथा शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था के अनुसार नियमानुसार कार्यवाही की जाय। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि माननीय विधायक श्री विपिन सिंह से भी अनुरोध किया जाय कि वह अपने स्तर से विश्वविद्यालय में कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए शासन से अनुरोध करें।
41.	कार्य परिषद् ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथासंशोधित) की धारा 37(2) के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई पूर्वानुमति के दृष्टिगत कार्य परिषद् की स्वीकृति की प्रत्याशा में कुलपति जी के आदेशोपरान्त सम्बद्धता प्रदान करने विषयक आदेशों की पुष्टि करने पर विचार किया। सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने निर्णय लिया कि प्रस्तुत आदेशों में कितने वर्ष के लिए सम्बद्धता प्रदान की गयी है, यथास्थान आवश्यक संशोधन करते हुए इस बैठक के कार्यवृत्त के साथ पूरी सूची मा0 कार्यपरिषद् के सदस्यों को भेजी जाय।
42.	कार्य परिषद् ने दो नये वाहन क्रय करने पर विचार किया। सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने निर्णय लिया कि पुराने वाहनों की नीलामी कर दी जाय तथा उनके स्थान पर दो अच्छे वाहन क्रय कर लिये जाय।
43.	कार्य परिषद् ने श्री महेन्द्र नाथ सिंह, अध्यक्ष, कर्मचारी संघ, दी0द0उ0 गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर का पत्र दिनांक 14.07.2017, जो "अखिल भारतीय कर्मचारी महासंघ" के नाम से कर्मचारी संघ के बगल में निर्मित भवन का नाम "उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ" करने सम्बन्धी है, पर विचार किया। सम्यक् विचारोपरान्त कार्यपरिषद् ने "अखिल भारतीय कर्मचारी महासंघ" के नाम से कर्मचारी संघ के बगल में निर्मित भवन का नाम "उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ" करने के सम्बन्ध में तथ्य प्रस्तुत करने के लिए एक समिति का गठन करने हेतु मा0 कुलपति जी को अधिकृत किया।
44.	अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रस्तावों पर विचार किया–
क.	कार्य परिषद् कार्यालय आदेश संख्या 10308/सा0प्र0/2017 दिनांक 03.07.2017 द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथा संशोधित) की धारा 27.04 में दिये गये प्रावधान एवं मा0 कुलपति जी के आदेश के अनुपालन में चक्रानुक्रम के अन्तर्गत प्रो0 गोपी नाथ, आचार्य, वाणिज्य विभाग को दिनांक 05.07.2017 से तीन वर्ष अथवा अन्य कोई आदेश होने तक, जो भी पहले हो, तक के लिए अधिष्ठाता– वाणिज्य संकाय के पद पर नियुक्ति सम्बन्धी आदेश से अवगत होना। कार्य परिषद् प्रस्तुत सूचना से अवगत हुई।
ख.	कार्य परिषद् कार्यालय आदेश संख्या 10309/सा0प्र0/2017 दिनांक 05.07.2017 द्वारा विश्वविद्यालय परिनियमावली के परिनियम 02.20 (5) (यथा संशोधित) में दिये गये प्रावधान

	एवं मा0 कुलपति जी के आदेश के अनुपालन में चक्रानुक्रम के अन्तर्गत प्रो0 गोपी नाथ, आचार्य, वाणिज्य विभाग को दिनांक 04.07.2017 से तीन वर्ष अथवा अन्य कोई आदेश होने तक, जो भी पहले हो, तक के लिए व्यवसाय प्रशासन विभाग के विभागाध्यक्ष पर नियुक्ति सम्बन्धी आदेश से अवगत होना। कार्य परिषद् प्रस्तुत सूचना से अवगत हुई।
ग.	कार्यालय आदेश संख्या 10411/सा0प्र0/2017 दिनांक 24.07.2017 द्वारा डॉ0 अवनीश राय, सहयुक्त आचार्य, अंग्रेजी विभाग को विश्वविद्यालय परिनियमावली के परिनियम 15.21 एवं उसके विभिन्न उपबन्धों के अधीन दिनांक 01.11.2016 से एक वर्ष तक दिये गये विराम अवकाश के सम्बन्ध में निर्गत कार्यालय आदेश सं0 9586/सा0प्र0/2016 दिनांक 02.12.2016 के क्रम में उनके द्वारा अपना प्रोजेक्ट कार्य पूर्ण कर दिनांक 30.05.2017 को कार्यभार ग्रहण कर लिये जाने के फलस्वरूप विराम अवकाश की शेष बची अवधि दिनांक 31.05.2017 से 31.10.2017 तक को निरस्त करने सम्बन्धी सम्बन्धी आदेश से अवगत होना। कार्य परिषद् प्रस्तुत सूचना से अवगत हुई।
घ.	कार्य परिषद् श्री सुशिलकुमार प्रजापती, अध्यक्ष, उत्तरभारती, पुणे शहर, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा, पूणे के दिनांक रहित पत्र, जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर का नाम "पण्डित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर" रखे जाने के सम्बन्ध में विचार किया। सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने निर्णय लिया कि चूँकि विश्वविद्यालय का नाम "दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर" विधान सभा द्वारा पारित अध्यादेश के माध्यम से किया गया है, इसलिए विश्वविद्यालय का नाम "पण्डित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर" करने पर विचार करना सम्भव नहीं है।
ङ.	कार्य परिषद् श्री राकेश लाल श्रीवास्तव, परिचर, नियन्ता कार्यालय के लम्बे समय से अनुस्थित रहने के प्रकरण पर विचार किया। सम्यक् विचारोपरान्त कार्यपरिषद् ने निर्णय लिया कि श्री राकेश लाल श्रीवास्तव, परिचर, नियन्ता कार्यालय को पुनः पत्र भेजकर पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाय। यदि कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो नियमानुसार उनकी सेवा समाप्त करने की कार्यवाही की जाय।
च.	कार्य परिषद् ने कार्य परिषद् सदस्य माननीय श्री एस0वी0एम0 त्रिपाठी के पत्र दिनांक 21 जुलाई, 2017 पर विचार करते हुए निर्णय लिया कि– 1. कुलपति आवास के बगल में स्थिति सिंचाई विभाग को दी गयी जमीन के सम्बन्ध में शासन को पत्र लिखकर नियमानुसार विश्वविद्यालय के कब्जे में लेने की कार्यवाही की जाय। 2. विश्वविद्यालय में कृषि संकाय की स्थापना एवं अन्य तकनीकी पाठ्यक्रम के संचालन के लिए जमीन की माँग शासन से की जाय।

प्रो0 श्रीकान्त दीक्षित, सदस्य– कार्यपरिषद् द्वारा अध्यक्ष को धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

कुलसचिव
सचिव

कुलपति
अध्यक्ष